न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपाड शहर, जोधपुर जिला।

पीठासीन अधिकारी : इन्साफ खान
आर.जे.एस.

17 वर्ष से अधिक
अवधि पुराना प्रकरण।

निर्णय दिनांक : **30.06.2026**
फौज. मूल प्र.सं. : **86/2025**
सी.आई.एस. नंबर : **97/2025**
सी.एन.आर. नंबर : **RJJR050001692025**
प्रथम सूचना रि.सं. : **175/2009**
अन्तर्गत धारा : **147, 148, 323, 341, 365/149, 427/149 भा.द.स.**
पुलिस थाना : **भोपालगढ**

अभियोगी :– राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी, पीपाड़ शहर
उपस्थित :– श्री **श्यामसुंदर सुथार,** अभियोजन अधिकारी।

ब ना म

अभियुक्त
1. **बजरंगसिंह पुत्र** हुकमसिंह, निवासी नान्दिया प्रभावती।
2. **मनोहरसिंह पुत्र** हुकमसिंह, निवासी नान्दिया प्रभावती।
3. **विक्रमसिंह** पुत्र हुकमसिंह, निवासी नान्दिया प्रभावती।
4. **श्रवणसिंह** पुत्र चुतरसिंह, निवासी बारा खुर्द, पुलिस थाना खेडापा।
5. **जितेंद्र** पुत्र माधुसिंह निवासी धुन्धाडिया। **(फौत)**

उपस्थित :– श्री **अभिषेक कच्छावाह व सीताराम टाक** विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण।

–:: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण ::–

अपराध की तिथि	25.10.2009
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	25.10.2009
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	20.10.2010
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	16.06.11, 11.07.11, 29.01.13
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	25.02.2013
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	29.06.2026
निर्णय की तिथि	30.06.2026
दण्ड दिये जाने की तिथि (यदि हो तो)	–––––

–:: अभियुक्त का विवरण ::–

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा–428 द0प्र0सं0 के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि
01.	बजरंगसिंह	03.09.2010	22.09.2010	147, 148, 323, 341, 365, 395, 427/149 भादस	दोषमुक्त	–––	–––
02.	मनोहरसिंह उर्फ अतीकसिंह	25.03.2010	09.04.2010	147, 148, 323, 341, 365, 395, 427/149 भादस	दोषमुक्त	–––	–––
03.	विक्रमसिंह	25.03.2010	09.04.2010	147, 148, 323, 341, 365, 395, 427/149 भादस	दोषमुक्त	–––	–––
04.	जितेंद्रसिंह	26.03.2010	09.04.2010	147, 148, 323, 341, 365, 395, 427/149 भादस	दोषमुक्त	–––	–––
05.	श्रवणसिंह	25.03.2010	09.04.2010	147, 148, 323, 341, 365, 395, 427/149 भादस	दोषमुक्त	–––	–––

–:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची ::–

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
पी.डब्ल्यू. 01.	हरिसिंह	परिवादी/मुस्तगीस
पी.डब्ल्यू. 02.	जितेंद्रसिंह	नक्शा मौका व फर्द जब्ती का मौतबीर गवाह
पी.डब्ल्यू. 03.	देवीसिंह	नक्शा मौका व फर्द जब्ती का मौतबीर गवाह
पी.डब्ल्यू. 04.	उदयसिंह	मजरूब
पी.डब्ल्यू. 05.	डॉ. दीपक माथुर	चिकित्सकीय गवाह
पी.डब्ल्यू. 06.	मोहनलाल	मैकेनिकल मुआयना का गवाह
पी.डब्ल्यू. 07	रणजीत	पक्षद्रोही गवाह
पी.डब्ल्यू. 08	लादूराम	पक्षद्रोही गवाह
पी.डब्ल्यू. 09	मोहनराम	पक्षदोही गवाह
पी.डब्ल्यू. 10	प्रतापराम	अनुसंधान अधिकारी
पीडब्ल्यू. 11	जेताराम	मुलजिमान के फर्द गिरफ्तारी आदि का अनुसंधान अधिकारी
पीडब्ल्यू. 12	महावीर सिंह	मजरूब/चश्मदीद गवाह
पीडब्ल्यू. 13	रेवतराम	चिकित्सकीय साक्षी
पीडब्ल्यू. 14	मुकेश	फर्द गिरफ्तारी का गवाह
पीडब्ल्यू. 15	गोरधनसिंह	मुस्तगीस/पक्षद्रोही गवाह
पीडब्ल्यू. 16	मेघाराम	फर्द गिरफ्तारी का गवाह
पीडब्ल्यू. 17	सुजानाराम	प्रथम नक्शा मौका व द्वितीय नक्शा मौका का गवाह
पीडब्ल्यू. 18	नरेंद्र सोलंकी	चिकित्सीय साक्षी

पीडब्ल्यू. 19	भगाराम	प्रथम नक्शा मौका व द्वितीय नक्शा मौका का गवाह
पीडब्ल्यू. 20	प्रदीप कुमार	अनुसंधान अधिकारी
पीडब्ल्यू. 21	घेंवरराम	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण का मौतबीर

ख. बचाव

साक्षी का कम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
——	——	——

–:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची ::–

क. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श पी संख्या
01.	लिखित रिपोर्ट	1
02.	चाक एफआईआर	2
03.	नक्शा मौका हालात मौका	3 व 4
04.	फर्द जब्ती बस	5
05.	चोट प्रतिवेदन मजरूब उदयसिंह	6
06.	चोट प्रतिवेदन मजरूब गोरधनसिंह	7
07	चोट प्रतिवेदन मजरूब महावीरसिंह	8
08	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट	9
09.	फर्द गिरफ्तारी विक्रमसिंह	11
10.	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम मनोहर उर्फ अतीकसिंह	12
11.	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम श्रवणसिंह	13
12.	फर्द गिर्तारी मुलजिम जितेंद्रसिंह	14
13.	मुलजिमान विक्रमसिंह, मनोहरसिंह, श्रवणसिंह व जितेंद्रसिंह फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम	15, 16 17 व 18
14.	घटनास्थल मौका तस्दीक	19, 20, 21 व 22
15.	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम बजरंगसिंह	23
16.	मुलजिम बजरंगसिंह धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला	24
17.	मोबाईल की कॉल डिटेल	25

ख. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी. संख्या
01	डिस्चार्ज पर्ची	01

–:निर्णयः– **दिनांक : 30.06.2026**

1. हस्तगत प्रकरण श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला के आदेश क्रमांक 01/2025 दिनांक 02.01.2025 की पालना में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीपाड़ शहर, जोधपुर जिला से इस न्यायालय में निस्तारण हेतु अंतरित किए जाने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी हरिसिंह ने लिखित रिपोर्ट इस आशय का पेश की कि उसकी बस नंबर आरजे 19 पीए 2039 जो कि ओसिया से पीपाड के बीच चलती है, जो दिनांक 25.10.2009 को सुबह 07 बजे पीपाड से रवाना हुई जो करीब 8.30 बजे सुबह देवातडा व बुडकिया के बीच पहुंची, तो आगे बीना नंबर सफेद बोलेरो जीप में सवार लोगों ने गाडी के आगे खडी कर जीप से नीचे उतरे व ड्राईवर उदयसिंह को नीचे उतार कर पीटना शुरू कर दिया। इतने में उसके साथ परिचालक महावीरसिंह व गोरधनसिंह ने बीच–बचाव किया तो जीप में सवार बजरंगसिंह, मनोहरसिंह उर्फ अतीकसिंह, विक्रमसिंह एवं जितेंद्रसिंह, श्रवणसिंह एवं प्रेमसिंह एवं अन्य तीन जनों ने सभी के साथ लाठियों एवं सरिये से मारपीट की एवं परिचालक के पास से करीब 2000/– रुपये एवं मोबाईल बजरंगसिंह ने ले लिया एवं बस में लगी टीवी, सीडी प्लेयर, मनोहरसिंह उर्फ अतीकसिंह जबरदस्ती गाडी में से लेकर अपनी गाडी बोलेरो में रख दिया। उसके बाद सभी ने महावीरसिंह को बजरंगसिंह, अतीकसिंह, मनोहरसिंह ने उसके साथ लाठियों व सीरियों से मारपीट की तो बीच–बचाव करने गोरधनसिंह से भी सरियो लाठियों से बजरंगसिंह, विक्रमसिंह, मनोहरसिंह उर्फ अतीकसिंह ने मारपीट शुरू कर दी, जिससे उसके सिर, दायीं आंख व पेट पर चोटें आई, जिससे उसके आंख के पास खुन बहने लगा, तो उदयसिंह को उन सभी लोगों ने गाडी में डालकर लातों मुक्कों से पीटना शुरू कर दिया तथा गाडी छीनकर बस में बैठी सवारियों को जबरदस्ती नीचे उतारकर हम सभी को गाडी में बैठाकर देवातडा से गाडी चलाकर बुडकिया नानदिया प्रभावती से कच्चे रास्ते में डालकर बंदडा के सरहद में मंदिर के पास गाडी को नदी में डाल दी। गाडी जितेंद्रसिंह चला रहा था। गाडी को नदी में डालकर गाडी के सभी कांच एवं अन्य प्रकार का नुकसान कर दिया। उक्त घटना उसे फोन पर महावीरसिंह ने करीब 10 बजे बताई। उसकी बस के साथ सरहद देवातडा में मुलजिमान बजरंगसिंह, मनोहरसिंह उर्फ अतीकसिंह, विक्रमसिंह वगैरा ने बस चालक उदयसिंह, परिचालक महावीरसिंह व यात्री गोरधनसिंह के साथ मारपीट कर बस छीन कर बस को आगे ले जाकर सरहद बंदडा गांव के पास एक नदी में डालकर बस के कांच इत्यादि तोड कर परिचालक से मारपीट कर 2000/– रुपये रोकड व एक मोबाईल तथा गाडी में टीवी व सीडी प्लेयर छीनकर जाने की घटना उसे सुबह करीब 10 बजे यह घटना मोबाईल पर उसे परिचालक महावीरसिंह ने दी तब वह यह घटना सुनकर वह अपनी बोलेरो गाडी लेकर बस के पास पहुंचा तब उसे वहां बस के पास उसकी बस के चालक व परिचालक नहीं मिले तथा उसके द्वारा उसके चालक व परिचालक से मोबाईल से सम्पर्क किया तब किसी मोटरसाईकिल पर बैठकर चालक परिचालक व एक यात्री तीनों उसके पास बस के पास आए, तब उसने उसके बस के चालक व परिचालक एक बस यात्री गोरधनसिंह को उसकी बोलेरों गाडी में बैठकर भोपालगढ थाना आये। वह ओसिया से बस के पास जाने व चालक व परिचालक को ढूंढने के कारण रिपोर्ट में देरी हो गई...... आदि। उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 175/2009 जुर्म धारा 341, 323, 365, 395, 427 भारतीय दंड संहिता में दर्ज किया गया।

3. बाद अनुसंधान अभियुक्तगण बजरंगसिंह, मनोहरसिंह उर्फ अतीकसिंह, श्रवणसिंह, विक्रम. सिंह व जितेंद्रसिंह के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 147, 341, 323, 395, 365, 427/149 भादसं. में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण में धारा 395 सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण सेशन न्यायालय में कमिट किया गया। माननीय सेशन न्यायालय द्वारा बहस चार्ज के प्रक्रम पर अभियुक्तगण को धारा 395 भादस में उन्मोचित कर पत्रावली विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 341, 323, 365/149 427/149 भादसं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया जिसे अभियुक्तगण ने सुन व समझ कर आरोपित अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाहीं। अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूचि अनुसार गवाहों को परिक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया।

4. दौराने विचारण अभियुक्त जितेंद्र पुत्र माधुसिंह, निवासी धुंधाडिया फौत हो जाने स उसके विरुद्ध कार्यवाही अबेट की गई।

5. अभियुक्तगण विक्रमसिंह, मनोहरसिंह, श्रवणसिंह व बजरंगसिंह के धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन लेखबद्ध किये गये, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध किये गये कथनों को गलत बताते हुए स्वयं के निर्दोष होने का कथन किये गये तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियुक्तगण अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को दंडित करने का निवेदन किया। जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने बहस तर्क दिया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित किया गया, यह संदेह से परे साबित नहीं है। प्रकरण में मुस्तगीस घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। गवाह उदयसिंह दौराने जिरह पूर्णतः विरोधाभासी कथन करता है। गवाह माहावीरसिंह जिरह हेतु उपस्थित नहीं हुआ। गवाह गोरधनसिंह दौराने साक्ष्य अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है तथा अन्य कोई गवाह भी अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता। अभियुक्त बजरंगसिंह वक्त घटना जैसलमेर सरकारी अस्पताल में भर्ती था जिसकी ताईद चिकित्सीय साक्षी करते हैं। गवाहों की साक्ष्य में भारी विरोधाभास है। अंत में अधिवक्ता अभियुक्तगण ने उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

<u>अवधार्य बिन्दुः–</u>

7. उभय पक्ष के तर्कों का मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि :–

(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 25.10.2009 को समय सुबह 8.30 एएम पर या उसके लगभग वाके देवातडा व बुडकिया के मध्य विधि–विरुद्ध जमाव का गठन कर उक्त जमाव का सदस्य होते हुए उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा व हिंसा कारित कर मजरूबान उदयसिंह, महावीरसिंह व गोरधनसिंह का सदोष अवरोध कर उनके साथ कुंदाले से मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित कर उक्त मजरूबान को बस में डालकर अपहरण करके मुस्तगीस के बस नंबर आरजे 19 पीए 2039 में तोड–फोड कर बस को क्षतिग्रस्त कर बंदडा गांव के पास नदी में डालकर रिष्टि कारित की?

अवधार्य बिन्दु का विनिश्चयः–

अभियोजन के विरुद्ध व अभियुक्तगण के पक्ष में तय किया जाता है।

विनिश्चय के कारण

8. उक्त विचारणीय बिंदुओं के संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो प्रकरण में गवाह **पीडब्ल्यू 1 के रूप में हरिसिंह** परीक्षित हुआ है जो दौराने मुख्य परीक्षा कथन करता है कि आज से करीब 8–9 वर्ष पूर्व की बात है। उसकी बस नंबर आरजे 19 पीए 2039 जो ओसिया से पीपाड के बीच चलती है। दिनांक 25.10.2009 को सुबह सात बजे गाड़ी पीपाड़ से रवाना हुई थी। लगभग 8.30 एएम पर गांव देवातड़ा व बुडाकिया के बीच गाड़ी पहुंची, तो एक गाड़ी बोलेरो रंग सफद का जो हमारी गाड़ी के आगे लाकर खड़ी कर दी। हमारी गाड़ी के चालक उदयसिंह को नीचे उतारकर बोलेरों वाले ने उदयसिंह को पीटना शुरू कर दिया और परिचालक महावीरसिंह, गोरधनसिंह ने बीच–बचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट की थी। मारपीट करने वाले बजरंगसिंह, मनोहरसिंह, विक्रमसिंह, श्रवणसिंह ने मिलकर मारपीट की। गाड़ी चालक उदयसिंह को मारपीट कर गाड़ी बोलेरो में डालकर ले गए और बनाड नाडी के पास ले जाकर पटक दिया। महावीर से 2000/– व मोबाईल लूटकर ले गए व कार में लगी सीडी प्लेयर तोड़ दिये। मारपीट में महावीरसिंह, गोरधन व उदयसिंह के चोटें आई थी। बस की सवारियों को नीचे उतार दिया था और बस को बंदडा नाडी तोड़–फोड़ कर डाल दिया और गाड़ी के समस्त कांच तोड़ दिये। गाड़ी के टायरों को नष्ट कर दिया। इस घटना की रिपोर्ट उसने उसी रोज थाना भोपालगढ़ में कर दी थी जो रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पर्चा चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस दूसरे दिन घटना का मौका देखने आई थी जो दोनों जगह जहां मारपीट की व जहां बस ले जाकर नाडी में डाली थी वहा का मौका देखा था। उसने मौका दिखाया था, जो फर्द नक्शा व हालात मौका प्रदर्श पी 03 व प्रदर्श पी 04 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज उसके बयान लिये थे। **दौराने जिरह उक्त गवाह कथन करता है कि** घ टना के वक्त वह गांव में था। उसे घटना की जानकारी सुबह साढे नौ, दस बजे हुई। घटना की जानकारी उसे महावीरसिंह जी ने किसी दूसरे के फोन से फोन करके दी। उसे घटना की सूचना

मिलने के करीब 3 घण्टे बाद में मौके पर गया। पुलिस वालों ने उसके बयान कब लिये उसे याद नहीं, क्योंकि 8–9 साल पुरानी घटना है। पुलिस में उसके दो बार बयान लिये। यह कहना गलत है कि हमारे व मुलजिमान के बीच बस के रूट को लेकर झगडा चल रहा हो।

इसी प्रकार गवाह **पीडब्ल्यू–02 जितेंद्र** ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि आज से लगभग 8–9 वर्ष पूर्व की बात है। पुलिस उसके व देवीसिंह, हरिसिंह के समक्ष जहां उदयसिंह, महावीरसिंह के साथ मारपीट की थी। सरहद देवातडा व बंदडा नाडी का मौका देखा था व बस आरजे 19 पीए 2039 जब्त की थी, जो फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 व प्रदर्श पी 04 है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 05 है। उक्त फर्दो पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। **दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि** वह खेती का काम करता है। हरिसिंह जी उसके परिचित है। बस स्टैंड पर आते जाते है, इसलिए जानता है। उसका व हरिसिंह दोनों एक ही गांव के है। घटनास्थल उसके गांव से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। घटनास्थल पर वह अपनी मर्जी से गया था। वह घटनास्थल पर जिस दिन मुकदमा दर्ज हुआ उस दिन गया था। उसके बाद में कभी भी घटनास्थल पर नहीं गया। वह आठवीं तक पढ़ा–लिखा है। घटनास्थल पर नाडी थी। वह नाडी वाले घटनास्थल के अलावा कहीं नहीं गया। उसने फर्द को पढ़कर हस्ताक्षर किये थे, आज वह नहीं बता सकता कि फर्द में क्या लिखा हुआ है क्योंकि घटना को 8–9 साल हो गए है। यह कहना गलत है कि वह हरिसिंह जी का रिश्तेदार होने के कारण गलत बयान दे रहा है। यह भी कहना गलत है कि उसने खाली फर्दों पर थाने में हस्ताक्षर किये हो।

इसी प्रकार गवाह **पीडब्ल्यू–03 देवीसिंह** ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि आज से करीब 8–9 वर्ष पूर्व की बात है। पुलिस ने हमारे समक्ष घटनास्थल सरहद देवातडा व बंदडा नाडी का मौका देखा था व बंदडा नाडी से बस जब्त की थी, जिनकी फर्द प्रदर्श पी 03, प्रदर्श पी 04, प्रदर्श पी 05 है सभी पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। **दौराने जिरह उक्त गवाह कथन करता है कि** हरिसिंह जी उसके भाई लगते हैं। घटनास्थल उसके मकान से 40 किलोमीटर दूर है। घटनास्थल उसने 26.10.2009 को देखा था। जब घटनास्थल बनाया तो आस पडौस के लोग भी वहां पर उपस्थित थे। मौके पर वह एक बार ही गया था। उसने एक ही मौका देखा था। घटनास्थल वह उसकी मर्जी से नहीं गया था उसे हरसिंह बस मालिक लेके गया था। फर्दों में क्या लिखा हुआ था वह नहीं बता सकता। उसके सामने पुलिस ने तफतीश की।

इसी प्रकार गवाह **पीडब्ल्यू–04 उदयसिंह** ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि यह 26.10.2009 की बात है। उस समय में सिटी बस चलाता था व बस संख्या आर जे 19 पी ए 2039 था। बस पर उस समय महावीर सिंह कंडक्टर था। यह बस ओसियां से पीपाड चलती थी। सुबह 7 बजे पीपाड़ सीटी से रवाना होकर 8.15 बजे देवातड़ा पहुंचे व देवातड़ा से आधा किलोमिटर ओसियां की तरफ जाते हुए रास्ते में पीछे से सफेद रंग की बिना नम्बर की बोलेरो गाड़ी आई। उस गाडी में

बजरंग सिंह, श्रवण सिंह और जितेन्द्र सिंह व चार पांच अन्य व्यक्ति थे। उन्होनें बस रूकवाकर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उसे बस से उतारकर बोलेरो गाड़ी में बिठाया व बस में से सवारीयां खाली करवाकर जितेन्द्र सिंह बस को पिछे पिछे लेकर आया। कच्चे रास्ते से बंधेडा गांव की नाडी की तरफ ले गए और जितेन्द्र सिंह ने नाडी की तरफ बस को उपर चढकर बस का मुह नाडी की तरफ मोड़कर खुद उससे कूद गया व बस को नाडी में गिरने दिया। उसके बाद उन लोगों ने बस के कांच डेशबोर्ड तोड़े। हमें वहीं छोड़कर वे सभी बोलेरो गाड़ी में चले गए। इन लोगों ने गोवर्धन सिंह व महावीर सिंह के साथ भी मारपीट की। उसके बाद उसने हरेन्द्र सिंह मोटर मालिक को पूरी घटना के बारे में बताया। उसके बाद हरेंद्र सिंह सेवकी गांव में आए और हमें बैठाकर भोपालगढ़ थाने ले गए और उसके बाद वहां उन्होनें मुकदमा दर्ज करवाया व हमसे हस्ताक्षर करवाए। पुलिस मौका देखने आई थी पहले देवातडा उसके बाद बंधेड़ा नाडी का मौका देखा। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 व प्रदर्श पी 4 पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसके चोटों की डॉक्टरी करवाई थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 6 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **दौराने जिरह उक्त गवाह कथन करता है कि** यह बात करीब सुबह 8.15 की है। उसके साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं हुई। प्रदर्श पी 03 व प्रदर्श पी 04 पुलिस ने कब बनाई वह नहीं बता सकता है। प्रदर्श पी 03 व प्रदर्श पी 04 में क्या लिखा उसे पता नहीं है, इन फर्दों पर उसके हस्ताक्षर पुलिस थाने में करवाये थे। पुलिस ने उसका मेडिकल नहीं करवाया था। पुलिस थाने में उसके बयान हुए या नहीं उसे याद नहीं है। जितेंद्रसिंह ने गोरधनसिंह के साथ मारपीट की थी। इसके अलावा दूसरा उसे कुछ पता नहीं है। यह कहना गलत है कि वह झूठे बयान दे रहा है।

इसी प्रकार गवाह **पीडब्ल्यू–05 डॉ. दीपक माथुर** ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि दिनांक 25.10.2009 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भोपालगढ़ में एमओ के पद पर तैनात था। उस रोज पुलिस थाना भोपालगढ़ के प्रतिवेदन पर मजरूब श्री उदय सिंह पुत्र भोपालसिह के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया, जिसमें मैंने पाया कि मजरूब के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी, केवल शरीर में दर्द होना पाया गया। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 6 मेरा कलमी है. जिस पर ए से बी मजरूब के हस्ताक्षर है. सी से डी उसके हस्ताक्षर एवं ई से एफ मजरूब का पहचान चिह्न हैं। उसी रोज उसने मजरूब गोरधन सिंह पुत्र सुमेर सिंह के शरीर पर लगी चोटों का मेडिकल मुआयना किया जिसमें उसने पाया कि चोट संख्या 1 रगड 1 गुणा 0.3 सेमी. दाहिना जायगुमा हड्डी पर ऑख के बाहर की तरफ, यह चोट साधारण प्रकृति की होकर कुंदालय से कारित थी जिसकी अवधि 24 घण्टों के भीतर की थी। चोट संख्या 2 कमर में दर्द की शिकायत थी, कोई जाहिरा चोट नहीं थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 7 है उसका कलमी है जिस पर ए से बी मजरूब के सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा ई से एफ मजरूब का पहचान चिह्न हैं। उसी रोज उसने मजरूब महावीर सिंह

पुत्र अमर सिंह के शरीर पर लगी चोटों का मेडिकल मुआयना किया जिसमें, उसने पाया कि चोट संख्या 1 निलगू 7 गुणा 2 सेमी., दाहिने कंधे पर तथा चोट संख्या 2 निलगू 5 गुणा 2 दाहिने कंधे पर। उक्त दोनों चोटों साधारण प्रकृति की होकर कुंदालय से कारित थी, चोटों की अवधि 24 घण्टों के भीतर की थी, जो चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 8 उसकी कलमी है जिस पर ए से बी मजरूब के, सी से डी मेरे हस्ताक्षर एवं ई से एफ मजरूब का पहचान चिहन हैं। **दौराने जिरह उक्त गवाह कथन करता है कि** यह बात सही है कि उक्त समस्त चोटों किसी भी कठोर स्थान पर गिरने पडने से भी आ सकती है।

इसी प्रकार गवाह **पीडब्ल्यू–06 मोहनलाल** ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 30.11.2009 को पुलिस थाना भोपालगढ़ में चालक के पद पदस्थापित था। उस रोज बस नंबर आरजे 19 पीए 2039 रंग सफेद टाटा टर्बो 407 का मैकेनिकल मुआयना किया जिसमें निम्न आलामत पाए गए बस के आगे का मैन शीशा टूटा हुआ पाया गया एवं बस के आगे की हैड लाईट व इण्डीकेटर टूट हुए पाए गए। गाडी के आगे का बम्पर मुचा हुआ पाया गया। गाड़ी की खिड़की एवं फाटक के सभी कांच टूटे हूए पाए गए व कैबिन के कांच भी टूटे हुए पाए गए। गाडी के पीछे का बम्पर बाहर की तरफ मुचा हुआ पाया गया। गाडी चलाकर देखी गई तो गाडी चालू हालात में पाई गई। गाडी की मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी 09 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। **दौराने जिरह उक्त गवाह कथन करता है कि** यह कहना गलत है कि उसने बस का मैकेनिकल मुआयना अपनी मर्जी से ही किया हो। अजखुद कहा कि आईओ के कहने पर किया। आईओ की उक्त तहरीर पत्रावली में नहीं है। गाडी कब जब्त की उसे पता नहीं और जब्ती के कितने दिन बाद मैकेनिकल मुआयना किया उसे यह भी पता नहीं। अजखुद कहा कि गाडी थाने में पडी थी। वाहन के मैकेनिकल मुआयना करने बाबत उसके कोई क्रोर्स नहीं किया हुआ है, बल्कि प्रशिक्षण किया हुआ है जो ड्राईविंग का किया हुआ है। उक्त प्रशिक्षण लाईसेंस पत्रावली पर नहीं है। बस की टूट फुट के संबंध में उसने कोई एफएसएल जांच की अनुशंषा नहीं की। अगर चलती हुई बस का संतुलन बिगड जाये और बस पलट जाये तो उक्त नुकसान होना संभव नहीं है।

इसी प्रकार गवाह **पीडब्ल्यू–07 रणजीत** ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि कितने समय पहले की बात है उसे ध्यान नहीं। उसने कोई लडाई झगडा होने की बात नहीं देखी और न ही सुनी थी। बसों के आपसी रूट के मामले में कोई झगडा हुआ हो तो भी उसे इसकी जानकारी नहीं है। झगडे में कौन–कौन शामिल थे वह नहीं बता सकता।

इसी प्रकार गवाह **पीडब्ल्यू–08 लादूराम** ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि आज से करीब 14–15 साल पहले की बात है। वह गांव की गवाड में बैठा था उसने सुना की बसों की आपसी रूट को लेकर लडाई–झगडा हुआ, किनके मध्य हुआ उसे पता नहीं।

इसी प्रकार गवाह **पीडब्ल्यू–09 मोहनराम** ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि आज से करीब 14–15 साल पहले की बात है। वह गांव की गवाड में बैठा था और उसने सुना की बसों के आपसी रूट को लेकर लड़ाई झगडा हुआ, किनके मध्य हुआ उसे पता नहीं।

इसी प्रकार गवाह **पीडब्ल्यू–10 प्रतापराम** ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 08.01.2010 को सीओ बिलाड़ा के पद पर कार्यरत था। उस रोज प्रकरण संख्या 175/09 पुलिस थाना भोपालगढ़ में अनुसंधान पत्रावली वास्ते अग्रीम अनुसंधान उसके वाले हुई। दौराने तफ्तीश उसने तितम्बा बयान हरिसिंह, उदयसिंह, महावीर सिंह, गोरवधनसिंह व बयान गवाह लादूराम, सुदाराम, मोहनराम, रणजीत सिंह, जगदीश के बयान उनके कथनानुसार दिए। तत्पश्चात् उच्च्य अधिकारियों के आदेश से पत्रावली उच्च्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। **दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि** यह कहना गलत है कि उसने लादूराम, सुदाराम, मोहनराम, रंजितसिंह, जगदीश के बयान उनके कहेनुसार नहीं लिये। यह कहना सही है कि परिवादी तथा मजरूब ने बडा–चढाकर मुकदमा दर्ज करवाया था तथा जो व्यक्ति घटना में शामिल नहीं थे, उनके नाम भी प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं बयानों में लिखवाये।

इसी प्रकार गवाह **पीडब्ल्यू–11 जैताराम** ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 25.03.2010 को पुलिस थाना भोपालगढ़ एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस रोज मुलजिम विक्रमसिंह को जरिये फर्द प्रदर्श पी 11, मुलजिम मनोहरसिंह उर्फ अतीकसिंह को जरिये फर्द प्रदर्श पी 12 मुलजिम श्रवण सिंह को जरिये फर्द प्रदर्श पी 13 के उसने गिरफ्तार किया। 3 फर्द पर क्रमशः ए से बी उसके सी से डी क्रमशः मुलजिम विक्रम, मनोहर व श्रवणराम के हस्ताक्षर है, दिनांक 26.3.2010 को जितेंद्रसिंह को जरिये फर्द प्रदर्श पी 14 के उसके द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी जितेंद्र के हस्ताक्ष्र है। मुलजिम विक्रमसिंह, मनोहरसिंह, श्रवणसिंह व जितेंद्र सिंह द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला क्रमशः प्रदर्श पी 15, प्रदर्श पी 16, प्रदर्श पी 17 व प्रदर्श पी 18 है जिस पर क्रमशः ए से बी उसके व सी से डी क्रमशः मुलजिमान विक्रम, मनोहर, श्रवण, जितेंद्र के हस्ताक्षर हैं। मुलजिमान विक्रमसिंह मनोहर सिंह, श्रवणसिंह, जितेंद्र सिंह द्वारा कराई गई। घटनास्थल तस्दीक की फर्द क्रमशः 19 व 20 है जिस पर ए से बी व सी से डी विक्रमसिंह ई से एफ मनोहरसिंह जी से एच श्रवणसिंह व आई से जे जितेंद्र सिंह के हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात पत्रावली उच्च्य अधिकारी के आदेश से अग्रिम अनुसंधान हेतु पेश की। **दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि** प्रदर्श पी 11 से प्रदर्श पी 13 तक एक ही दिन मुर्तिब की थी। प्रदर्श पी 14 अलग दिन मुर्तिब की थी। मुलजिमान को दस्तयाब करके लेकर आए थे। मुलजिमान को पुलिस थाना भोपालगढ में गिरफ्तार किया था। मुलजिमान की गिरफ्तारी की सूचना किसको दी आज उसे याद नहीं है। मुलजिमान के जमा तलाशी में कोई वस्तु मिली हो तो आज उसे याद नहीं है। प्रदर्श पी 15 में मुलजिम विक्रमसिंह

के धारा 27 साक्ष्य की इत्तिला में घटना की दिनांक को बताई थी, परंतु भूलवश लेखबद्ध नहीं की गई थी। प्रदर्श पी 15 से प्रदर्श पी 18 तक मुर्तिब करते समय मुलजिमान एक ही बेरक में थे। मुलजिमान ने धारा 27 की साक्ष्य अधिनियम के तहत इत्तिला अलग–अलग समय दी थी। प्रदर्श पी 19 व प्रदर्श पी 20 का रवानगी रपट व आमद पत्रावली में मौजूद है या नहीं उसे आज याद नहीं है। प्रदर्श पी 19 व प्रदर्श पी 20 में घटनास्थल का मौका तस्दीक किया, घटना से संबंधित आलामात मैं आज नहीं बता सकता हूं। प्रदर्श पी 19 व प्रदर्श पी 20 का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम इत्तिलानुसार सभी मुलजिमान के साथ एक साथ या नहीं आज उसे याद नहीं है। प्रदर्श पी 19 व प्रदर्श पी 20 के पडौस आज उसे याद नहीं हैं। यह कहना सही है कि आस पडौस आबादी क्षेत्र था परंतु मौतबीर मामुर नहीं किये।

इसी प्रकार गवाह **पीडब्ल्यू–12 महावीरसिंह** ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि दिनांक 26.10.2009 की बात है। वह बस नंबर आरजे 19 पीए 2039 पर परिचालक का काम करता था। उस बस का चालक उदयसिंह था। उस रोज हम लगभग 8 बजे सवारीयों से बस भरकर पीपाड से ओसिंया जा रहे थे। पीपाड से एक सवारी गोरधन सिंह भी हमारी बस में सवार हुआ। जैसे ही हम देवातडा पहुंचे इतने में पीछे से एक बिना नंबर की बोलेरो गाडी जिसमें 6–7 व्यक्ति सवार थे हमारी बस आवरटैक कर उन्होनें हमारी बस रूकवाई और उपरोक्त व्यक्तियों ने बस चालक उदयसिंह को कोलर पकडकर बस से नीचे उतारा। बस में बैठी सवारीयों को भी धमकाकर बस से नीचे उतारा। उपरोक्त व्यक्तियों के नाम जितेन्द्रसिंह, बजरंगसिंह, मनोहरसिंह, श्रवणसिंह, विक्रमसिंह, छेलसिंह, प्रेमसिंह वगैरह थे। उपरोक्त मुल्जिमान हॉकी, सरिया, लाठी से लेस होकर आए थे और हॉकी, सरिया, लाठी से उसके, गोरधनसिंह व उदयसिंह के साथ मारपीट की। मारपीट से उसके कमर व शरीर पर जगह–जगह चोटे आई। उसके कमीज में रखे 2000 रुपए नकद व उसका मोबाईल नोकिया 1600 उससे छीन लिया और जितेन्द्रसिंह हमारी बस की चालक सीट पर बैठा और उसे, उदयसिंह व गोवरधनसिंह को हमारी बस में डाला और मनोहरसिंह, बजरंगसिंह हमारी बस में बैठे। बाकी मुल्जिमान बोलेरो में सवार हुए और जितेन्द्रसिंह ने हमारी बस चलाकर नांदिया प्रभावती गांव से थोडा आगे बंदडा नदी पर ले जाकर बस रोकी और बस में बहुत तोड–फोड करने के बाद बस को नदी में फेंक दिया। जब बस को नदी में फेंका तब हम तीनों बस से बाहर आ गए थे। फिर हम तीनो पैदल पैदल बुचेटी गांव पहुंचे और सेवकी खुर्द जाकर बस मालिक हरिसिंह को सूचना दी जो हमें सेवकी खुर्द लेने आए। इस घटना के संबंध में हरिसिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई तब पुलिस वालों ने घटनास्थल देवातडा व नांदडी नाडी बंदडा पहुंच घटनास्थल का निरक्षण कर फर्द नक्शा व हालात मौका प्रदर्श पी 03 व 04 को उसके समक्ष बनाया जिस पर क्रमशः आई से जे उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी चोटों का मेडिकल मुआयना हुआ था चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 08 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। वह मुलजिमान को पहचान सकता है। मुलजिमान ने बस की रूट की रंजीश को लेकर उनके साथ मारपीट की।

इसी प्रकार गवाह **पीडब्ल्यू–13 रेंवतराम** ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि दिनांक 25.10.2009 को वह चिकित्सा अधिकारी के पद पर श्री जवाहर चिकित्सालय जैसलमेर में तैनात था। उस रोज हमारे अस्पताल में बजरंगसिंह पुत्र हुक्मसिंह उम्र 31 साल निवासी जेएनवी कॉलोनी जैसलमेर नाम का व्यक्ति 11.25 एएम पर इमरजेंसी वार्ड में आया था जिसको भर्ती करने के निर्देश दिए थे क्योंकि उसको उल्टी दस्त व कमजोरी की शिकायत थी। वह व्यक्ति दो दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा। उसके सहपाठी डॉक्टर नरेंद्र सोलंकी ने भी उस मरीज का इलाज किया था। दिनांक 26.10.2009 को बजरंगसिंह को छुटी दी गई थी। **दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि** वह दिनांक 25.10.2009 को जवाहर चिकित्सालय जैसलमेर में कार्यरत था। यह कहना सही है कि अभियुक्त बजरंगसिंह जो कि दिनांक 25.10.2009 को जवाहर चिकित्सालय जैसलमेर में भर्ती हुआ था उसका निवर्तन पत्र प्रदर्श डी 01 है जिस पर ए से बी उसके साथी चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र सोलंकी के हस्ताक्षर है जो कि वह उनके साथ काम करने से पहचानता है। यह कहना सही है कि अनुसंधान अधिकारी को उसने बजरंगसिंह के अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में बता दिया था। अनुसंधान अधिकारी ने दौराने अनुसंधन बजरंगसिंह के अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं लिये सिर्फ उसके बयान लिये। मरीज भर्ती होता है तो उसकी पहचान के संबंध में हम आई कार्ड की कॉपी वगैराह लेते हैं। यह कहना सही है कि बजरंगसिंह उसका कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं लगता।

इसी प्रकार गवाह **पीडब्ल्यू–14 मुकेश** ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 26.03.2010 को पीएस भोपालगढ़ में कानि. के पद पर कार्यरत था, उस रोज श्री जेठाराम अनुसंधान अधिकारी ने उसके व मेघराम कानि. के रूबरू मुलजिम जितेंद्रसिंह को जरिये फर्द प्रदर्श पी 14 के गिरफ्तार किया जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं।

इसी प्रकार गवाह **पीडब्ल्यू–15 गोरधनसिंह** ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि कितने समय पहले की बात है आज उसे याद नहीं। उसके सामने पुलिस वालों को किसी मुलजिमान ने किसी घटनास्थल की तस्दीक नहीं कराई। उसे किसी बात की जानकारी नहीं है। **दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि** यह बात सही है कि फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल प्रथम प्रदर्श पी 19 व फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल द्वितीय प्रदर्श पी 20 पर क्रमशः के से एल उसके हस्ताक्षर हैं। यह कहना गलत है कि मुलजिमान विक्रमसिंह, मनोहरसिंह उर्फ अतीकसिंह, श्रवणसिंह, जितेंद्रसिंह को पहचानता है। यह कहना गलत है कि वह आज मुलजिमान से मिलकर उन्हें बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा है।

इसी प्रकार गवाह **पीडब्ल्यू–16 मेघाराम** ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 26.03.2010 को पीएस भोपालगढ़ में कानि. के पद पर था। उस रोज इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी जेताराम एएसआई ने उसके व मुकेश कुमार के समक्ष मुलजिम जितेंद्र सिंह को जरिये फर्द

प्रदर्श पी 14 गिरफ्तार किया जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं।

इसी प्रकार गवाह **पीडब्ल्यू–17 सुजानाराम** ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 04.09.10 के पीएस भोपालगढ़ में एएसआई के पद पर था। उस रोज प्रकरण 175/2009 के अनुसंधान अधिकारी प्रदीप शर्मा थानाधिकारी भोपालगढ़ के द्वारा उक्त प्रकरण में गिरफ्तार मुलजिम बजरंग के इत्तिलानुसार प्रकरण में घटनास्थल प्रथम व द्वितीय का नक्शा मौका उसके व कानि. भगाराम 344 की मौजूदगी में मुर्तिब किया गया था, जो नक्शा मौका तस्दीक प्रथम प्रदर्श पी 21 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। द्वितीय नक्शा मौका प्रदर्श पी 22 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। **दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि** प्रदर्श पी 21 मुर्तिब करने हेतु थाने से कितने बजे रवाना हुए, समय आज मुझे याद नही है। प्रथम घटना स्थल तस्दीक का समय 11 ए एम है। प्रदर्श पी 21 के आस पडोस मे खेत व जोधपुर जाने वाली रोड़ है, बाकि पडोसियों के नाम मुझे आज याद नही है। प्रदर्श पी 21 मे घटना स्थल पर घटना के संबंध मे कोई आलामात नही थे क्योकि मोका तस्दीक घटना करीब एक साल बाद हुई थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 21 मुर्तिब करते समय प्रकरण के परिवादी व अन्य कोई स्वतंत्र गवाहन उपस्थित नही थे। घटना स्थल प्रथम से द्वितीय घ टनास्थल प्रदर्श पी 22 पर कब पहुचे समय आज मुझे याद नही है, मगर द्वितीय घटना स्थल तस्दीक 12.30 पी एम पर मुर्तिब किया गया था। प्रदर्श पी 22 के आस पडोस मे गांव कि नादडी नाडी है, पड़त जमीन व सरकारी जमीन है। घटना स्थल प्रदर्श पी 21 व प्रदर्श पी 22 के बीच कि दुरी कितनी है आज मुझे याद नही है। प्रदर्श पी 22 मे घटना स्थल पर घटना के संबंध मे कोई आलामात नही थे क्योकि मोका तस्दीक घटना करीब एक साल बाद हुई थी। प्रदर्श पी 22 मुर्तिब करते समय प्रकरण के परिवादी व अन्य कोई स्वतंत्र गवाहन उपस्थित नही थे। दोनो फर्द रिपॅार्ट प्रदर्श पी 21 व प्रदर्श पी 22 करीब आधे–आधे घंटे मे तैयार की थी, तथा उक्त दोनो मुर्तिब करने के बाद थाने कितने बजे पहुचे वह समय आज मुझे याद नही है।

इसी प्रकार गवाह **पीडब्ल्यू–18 नरेंद्र सोलंकी** ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 25.10.2009 को जिला अस्पताल जैसलमेर में एमओ पद पर कार्यरत था। उस रोज अमरजेंसी वार्ड में उसकी ड्यूटी थी। एक मजरूब आया जिसने अपना नाम बजरंग सिंह पुत्र हुक्मसिंह निवासी जेएनयु कॉलोनी, जैसलमेर होना बताया जो अमरजेंसी वार्ड में आया। विशेष टीम के चैकअप के बाद भर्ती करने के निर्देश दिये गये। जरिये पर्ची प्रदर्श डी 01 भर्ती कर लिया था। मजरूब बजरंग सिंह जिला अस्पताल जैसलमेर में भर्ती रहा जो उल्टी दस्त से ग्रसित होना पाया। दूसरे दिन दिनांक 26.10.2009 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज प्रमाण–पत्र प्रदर्श डी 01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बजरंग सिंह को वह व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं। बजरंग सिंह के होने बाबत् कोई दस्तावेज चैक नही किये व न ही दस्तावेज पेश किये। बजरंग सिंह के नाम से दूसरा

व्यक्ति भर्ती रहा हो तो भी वह नहीं बता सकता। उस समय मरीज के दस्तावेज लेना अनिवार्य नही था। अब मरीज के दस्तावेज लेना राज्य सरकार के द्वारा अनिवार्य है। पुलिस ने उसके बयान लिये। **दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि** यह कहना सही है कि अस्पताल में आने वाले हर व्यक्ति को वह नहीं पहचान सकता है। अस्पताल प्रशासन बजरंग पुत्र हुक्मसिंह नामक व्यक्ति द्वारा फर्जी रूप से भर्ती होेने बाबत् किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो उसे नहीं पता न ही कभी इस संबंध में अस्पतान प्रशासन ने उसके बयान लिये। यह कहना सही है कि मरीज को भर्ती एवं डिस्चार्ज करते समय नाम व क्रमांक अंकित किये जाते है। फर्जी है या नही उस संबंध में जांच नही की गई। किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति का नाम बताकर अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाने पर किसी व्यक्ति द्व ारा अस्पताल प्रशासन को लिखित में शिकायत दी हो तो अस्पताल प्रशासन पीएमओ बता सकते हैं, जिसकी जानकारी उसे नहीं है। यह कहना सही है कि बजरंग पुत्र हुक्मसिंह नाम का व्यक्ति दिनांक 25.10.2009 से 26.10.2009 तक भर्ती टिकट के अनुसार भर्ती रहा।

इसी प्रकार गवाह **पीडब्ल्यू–19 भगाराम** ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 03.09.2010 को पुलिस थाना भोपालगढ़ में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस रोज अनुसंधान अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा इस प्रकरण में मुलजिम बजरंग सिंह को जरिये फर्द प्रदर्श पी 23 जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं व मुलजिम बजरंग सिंह को घटनास्थल का मौका तस्दीक प्रथम तस्दीक कराया था जो प्रदर्श पी 21 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है व मौका तस्दीक द्वितीय प्रदर्श पी 22 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। **दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि** यह कहना सही है कि वक्त गिरफ्तारी के समय मुलजिम का होलिया क्या था आज मैं नही बता सकता हूं। गिरफ्तारी फर्द प्रदर्श पी 23 किस समय मुर्तिब की समय उसे याद नही है। वक्त गिरफ्तारी मुलजिम की जमा तलाशी में कोई वस्तु मिली हो आज उसे याद नही हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 21 व प्रदर्श पी 22 में किसी स्वतंत्र मौतबीर को गवाह नही बनाया। घटना के पड़ोस आज वह नहीं बता सकता है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 21 व प्रदर्श पी 22 एक साथ ही बनाई थी उनके बीच 10–15 मिनट का अंतराल था। प्रदर्श पी 21 व प्रदर्श पी 22 में घटना से संबंधित मौके पर किसी प्रकार के आलामात हो तो फर्द में क्या अंकित किये वो आज में नहीं बता सकता हूं। घटनास्थल प्रदर्श पी 21 व प्रदर्श पी 22 का स्वामित्व संबंधी दस्तावेज आईओ द्वारा मौके से नही लिये गये। घटनास्थल की मौकी तस्दीक के समय स्वतंत्र गवाह बनाने का प्रयास आईओ द्वारा किया हो तो आज में नही बता सकता है।

इसी प्रकार गवाह **पीडब्ल्यू–20 प्रदीप कुमार** ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 25.10.2009 को पुलिस थाना भोपालगढ में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस रोज प्राथी श्री हरिसिंह ने एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 उसके समक्ष की जिस पर ए से बी हरिसिंह के हस्ताक्षर है सी से डी व ई से एफ पुलिस कार्यवाही व मुकदमा नम्बर दर्ज कर तफ्तीस स्वयं के

जिम्मे ली। जी से एच उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी हरिसिंह व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने तफ्तीस घटनास्थल–1 का निरीक्षण का घटना मौका हालात मौका बनाया जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर ए से एल तक मौतबीरान के हस्ताक्षर करवाये व एम से एन तक उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल–2 का नक्शा मौका हालात मौका बनाया जो प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से एल तक मौतबीरान के हस्ताक्षर करवाये व एम से एन तक उसके हस्ताक्षर हैं। जरिये फर्द प्रदर्श पी 05 एक मिनी बस नम्बर आरजे 19 पीए 2039 को जब्त किया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी जितेन्द्र सिंह, ई से एफ हरिसिंह के हस्ताक्षर करवाये। मजरूब उदयसिंह, गोरधन, महावीर सिह की आईआर प्रदर्श पी 06 शामिल पत्रावली की। मिनी बस का एमटीओ करवाकर एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्श पी 09 है जो शामिल पत्रावली की। गवाह हरिसिह, उदयसिंह, महावीर सिंह, गोरधन सिंह के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये व मुलजिम बजरंग सिंह को जरिये फर्द प्रदर्श पी 23 गिरफ्तार किया जिस पर ए से बी भगाराम, सी से डी फतेह सिंह, ई से एफ मुलजिम बजरंग सिह व जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिम बजरंग सिंह से धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इतला प्राप्त की जो प्रदर्श पी 24 है जिस पर ए से बी बजंरग सिह, सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम बजंरग सिंह से इतलानुसार घटनास्थल–1 व घटनास्थल–2 का मौका तस्दीक करवाया जो प्रदर्श पी 21 व प्रदर्श पी 22 है जिन पर ए से बी सुजानाराम, सी से डी भगाराम, ई से एफ मुलजिम बंजरग व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। गाडी के कागजात शामिल पत्रावली किये। मोबाईल की कॉल डिटेल व लोकेशन प्रदर्श पी 25 है जो शामिल पत्रावली की। तत्पश्चात् उच्च्व अधिकारियों के आदेशानुसार पत्रावली का उच्च्व अधिकारियों को पत्रावली प्रेषित हुई। उन्होने पूर्ण अनुसंधान कर मुलजिम बजरंग सिह, जितेन्द्र सिंह, विक्रम सिंह, मनोहर सिह, श्रवण सिंह के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 147, 341, 323, 365, 395, 427/149 भादस में जुर्म मानकर पत्रावली उसको प्रेषित की। उसने आरोप पत्र श्रीमान न्यायालय में पेश किया। आरोप पत्र पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। **दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि** यह कहना सही है कि वक्त घटना परिवादी साथ में नही था। यह कहना सही है कि गवाहन के बयान उसकी कलमी नहीं है। मुलजिम बजरंगसिह को घ टना के कितने दिन बाद गिरफ्तार उसे पता नही है। प्रदर्श पी 23 किसकी कलमी है उसे आज याद नही है। इतला के समय उसके पास मुलजिम के अलावा कोई नही था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 24 उसकी कलमी नही है। प्रदर्श पी 24 किसकी कलमी है उसे याद नही है। वक्त घटना मुलजिम बजरंग सिंह श्री जवाहिर चिकित्सालय जैसलमेर में जेर इलाज हो तो उसे आज याद नहीं है। घ टनास्थल के पडोस उसे याद नही है। प्रदर्श पी 03, 04 21 व प्रदर्श पी 22 किसकी कलमी है उसे आज याद नहीं हैं। मुकदमे का पुर्ण अनुसंधान उसके द्वारा नही किया गया इसलिए अंतिम रूप से मुलजिम के विरूद्ध उसके बाद के अनुसंधान अधिकारी ने धाराएं प्रमाणित की। वक्त घटनास्थल निरीक्षण के समय कोई वस्तु कब्जा नही ली गई थी। यह कहना सही है कि पत्रावली पर कॉल डिटेल प्रमाणित

नही है। यह कहना गलत है कि गवाहन के बयान मैने मन मर्जी से लिखे हो।

इसी प्रकार गवाह **पीडब्ल्यू–21 घेवरराम** ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 25.03.2010 को पुलिस थाना भोपालगढ़ में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस रोज इस प्रकरण मे अनुसंधान दल का सदस्य जेताराम एएसआई ने उसके व जेठूसिंह के समक्ष मुलजिम विक्रमसिंह को जरिये फर्द प्रदर्श पी 11 गिरफ्तार किया जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं व मुलजिम मनोहर सिंह उर्फ अतीक सिंह की जरिये फर्द प्रदर्श पी 12 गिरफतार किया जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है व मुलजिम श्रवणसिंह को जरिये फर्द प्रदर्श पी 13 गिरफ्तार किया जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। **दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि** मुलजमान को थाने परिसर से गिरफ्तार किया था। मुलजिमान स्वयं थाने में चलकर आए थे। मुलजिमान के गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार वालों को दी थी उनके नाम आज उसे याद नहीं है।

9. हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का समग्रता से विवेचन व विश्लेषण करें तो हस्तगत प्रकरण मुस्तगीस हरिसिंह की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पर संस्थित हुआ है जिसमें उसने उसकी बस नंबर आरजे 19 पीए 2039 दिनांक 25.09.2009 को सुबह 07 बजे पीपाड से रवाना होकर करीब 8.30 बजे देवातडा व बुडकिया के बीच पहुंचने, आगे बिना नंबरी सफेद कलर की जीप सवार लोगों द्वारा गाडी के आगे खडी कर, जीप से नीचे उतरकर ड्राईवर उदयसिंह को नीचे उतार कर पीटना शुरू कर देने, इतने में उसके साथ परिचालक महावीरसिंह व गोरधनसिंह ने बीच–बचाव करने, जीप में सवार बजरंगसिंह, मनोहरसिंह उर्फ अतीकसिंह, विक्रमसिंह एवं जितेंद्रसिंह, श्रवणसिंह एवं प्रेमसिंह एवं अन्य तीन जनों ने सभी के साथ लाठियों एवं सरिये से मारपीट की एवं परिचालक के पास से करीब 2000/– रुपये एवं मोबाईल बजरंगसिंह लेने, बस में लगी टीवी, सीडी प्लेयर, मनोहरसिंह उर्फ अतीकसिंह जबरदस्ती गाडी में से लेने, अपनी गाडी बोलेरो में रख देने, उसके बाद सभी ने महावीरसिंह को बजरंगसिंह, अतीकसिंह, मनोहरसिंह ने उसके साथ लाठियों व सीरियों से मारपीट करने, बीच–बचाव करने गोरधनसिंह से भी सरियो लाठियों से बजरंगसिंह, विक्रमसिंह, मनोहरसिंह उर्फ अतीकसिंह ने मारपीट शुरू कर देने, जिससे उसके सिर, दायीं आंख व पेट पर चोटें आने, जिससे उसके आंख के पास खुन बहने लगने, उदयसिंह को उन सभी लोगों ने गाडी में डालकर लातों मुक्कों से पीटना शुरू कर देने, गाडी छीनकर बस में बैठी सवारियों को जबरदस्ती नीचे उतारने, हम सभी को गाडी में बैठाकर देवातडा से गाडी चलाकर बुडकिया नानदिया प्रभावती से कच्चे रास्ते में डालकर बंदडा के सरहद में मंदिर के पास गाडी को नदी में डाल देने, गाडी जितेंद्रसिंह चला रहे होने, गाडी को नदी में डालकर गाडी के सभी कांच एवं अन्य प्रकार का नुकसान कर देने, उक्त घटना उसे फोन पर महावीरसिंह ने करीब 10 बजे बताई जाने, उसकी बस के साथ सरहद देवातडा में मुलजिमान बजरंगसिंह, मनोहरसिंह उर्फ अतीकसिंह, विक्रमसिंह वगैरा ने बस चालक उदयसिंह, परिचालक महावीरसिंह व यात्री गोरधनसिंह

के साथ मारपीट कर बस छीन कर बस को आगे ले जाने, सरहद बंदडा गांव के पास एक नदी में डालकर बस के कांच इत्यादि तोड कर परिचालक से मारपीट कर 2000/– रुपये रोकड व एक मोबाईल तथा गाडी में टीवी व सीडी प्लेयर छीनकर जाने, घटना उसे सुबह करीब 10 बजे यह घटना मोबाईल पर उसे परिचालक महावीरसिंह ने देने तब वह यह घटना सुनकर वह अपनी बोलेरो गाडी लेकर बस के पास पहुंचने, उसे वहां बस के पास उसकी बस के चालक व परिचालक नहीं मिलने, उसके द्वारा उसके चालक व परिचालक से मोबाईल से सम्पर्क करने, मोटरसाईकिल पर बैठकर चालक परिचालक व एक यात्री तीनों उसके पास बस के पास आने, उसने उसके बस के चालक व परिचालक एक बस यात्री गोरधनसिंह को उसकी बोलेरों गाडी में बैठकर भोपालगढ थाना आने के कथन किये हैं।

उक्त रिपोर्ट के संबंध में मुस्तगीस दौराने साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यू 01 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने दौराने मुख्य परीक्षा अपनी लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में कथित तथ्यों की पुनरावृत्ति की है तथा दस्तावेजी साक्ष्यों में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01, पर्चा चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02, नक्शा मौका हालात मौका प्रदर्श पी 03 व 04 प्रदर्शित करवाया। उक्त गवाह प्रकरण का चश्मदीद गवाह नहीं है। उक्त गवाह घटना के पश्चात महावीरसिंह द्वारा उसे फोन करने पर घटनास्थल पर जाने के कथन करता है।

प्रकरण में गवाह पीडब्ल्यू 02 जितेंद्र परीक्षित हुआ है जो नक्शा मौका हालात मौका प्रदर्श पी 03 व 04 व फर्द जब्ती बस प्रदर्श पी 05 का मौतबीर गवाह है, जो उक्त फर्दातों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करता है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त उक्त गवाह कथन करता है कि घटनास्थल पर वह अपनी मर्जी से गया था। वह घटनास्थल पर जिस दिन मुकदमा दर्ज हुआ उस दिन गया था उसके बाद घटनास्थल पर नहीं गया। इस प्रकार उक्त गवाह घटनास्थल पर मुकदमा दर्ज होने की दिनांक को जाने के कथन करता है जबकि नक्शा मौका हालात मौका प्रदर्श पी 03 व 04 दिनांक 26.10.2009 को मुर्तिब किया गया है।

इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 03 देवीसिंह परीक्षित हुआ है उक्त गवाह नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 व प्रदर्श पी 04 का मौतबीर गवाह है। जो फर्दोतों पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है। दौराने जिरह उक्त गवाह कथन करता है कि घटनास्थल दिनांक 26.10.2009 को देखा था वह मौके पर एक ही बार गया था उसने एक ही मौका देखा था। मौका पर क्या लिखा हुआ है वह नहीं बता सकता।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 04 उदयसिंह परीक्षित हुआ है जो कि घटना का चश्मदीद गवाह व मजरूब है। उक्त गवाह दौराने मुख्य परीक्षा तो दिनांक 26.10.2009 को बस नंबर आरजे 19 पीए 2039 का महावीर होने तथा कंडक्टर महावीरसिंह होने उक्त बस 07 बजे पीपाड से रवाना होकर 8.15 बजे देवातडा पहुंचने, देवातडा से आधे किलोमीटर ओसिया की तरफ जाते हुए, रास्ते में पीछे से सफेद रंग की बिना नंबरी बोलेरो आने, उस गाडी में बजरंगसिंह, श्रवणसिंह और जितेंद्रसिंह चार–पांच

अन्य व्यक्ति होने, उन्हें उक्त बस को रूकवाकर उसके साथ मारपीट करने, उसके बाद उन्हें बस से उतारकर बोलेरों गाडी में बैठाने, बस में से सवारिया खाली करवाकर जितेंद्रसिंह बस को पीछे–पीछे लाने, कच्चे रास्ते से बंधेडा गांव की नाडी की तरफ ले जाने, जितेंद्रसिंह ने नाडी की तरफ बस को उपर चढ़कर बस का मुंह नाडी की तरफ मोडकर खुद उससे कुद जाने, उसके बाद उन लोगों ने बस के कांच व डेसबॉर्ड तोड देने, इन लोगों ने गोरधनसिंह व महावीरसिंह के साथ भी मारपीट करने, उसके बाद उसने हरिसिंह को उक्त घटना के बारे में बतारे हरिसिंह गांव आकर उन्हें थाने लेकर जाने व मुकदमा दर्ज करवाने, पुलिस मौका देखने आने, नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 व 04 पर उसके हस्ताक्षर होने उसके चोटें का मुआयना करवाने चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 06 पर उसके हस्ताक्षर होने के कथन करता है, **परंतु दौराने जिरह उक्त गवाह कथन करता है कि** उसके साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं हुई। प्रदर्श पी 03 व 04 पुलिस ने कब बनाई उसे पता नहीं। प्रदर्श पी 03 व 04 में पुलिस ने क्या लिखा उसे पता नहीं होने, इन फर्दों पर हस्ताक्षर पुलिस थाने में करवाने पुलिस द्वारा उसका मेडिकल नहीं करवाने, उसके पुलिस में बयान हुए या नहीं उसे पता नहीं होने, जितेंद्रसिंह ने गोरधनसिंह के साथ मारपीट करने, इसके अलावा उसे पता नहीं होने के कथन करता है इस प्रकार उक्त गवाह दौराने मुख्य परीक्षा किये गए कथनों की पूर्णतः विरोधाभासी कथन दौराने जिरह करता है।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 05 डॉ. दीपक परीक्षित हुआ है जो चिकित्सीय साक्ष्य है उक्त गवाह मजरूब उदयसिंह, महावीरसिंह व गोरधनसिंह के शरीर पर आई चोटों का मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 06 लगायत प्रदर्श पी 08 बनाने मजरूबान के शरीर पर कारित चोटें कुंद हथियार से एवं साधारण प्रकृति की होने के कथन करता है, उक्त गवाह स्वीकार करता है कि उक्त समस्त चोटें कठोर स्थान पर गिरने पडने से आ सकती है। इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 06 मोहनलाल परीक्षित हुआ है जो प्रकरण में क्षतिग्रस्त बस का मैकेनिकल मुआयना कर रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 बनाने के कथन करता है। इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 07 रणजीत पीडब्ल्यू 08 लादूराम पीडब्ल्यू 09 मोहनराम परीक्षित हुए हैं, उक्त तीनों ही गवाहान घटना के संबंध में कोई कथन नहीं करते है। उक्त गवाहान घटना के बारे में सुनने के कथन अवश्य करते हैं। इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 10 प्रतापराम परीक्षित हुआ है जो प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है उक्त गवाह दौराने अनुसंधान प्रकरण की पत्रावली उसे प्राप्त होने पर गवाहान के बयान लेखबद्ध करने तत्पश्चात पत्रावली उच्चाधिकारियों के आदेश से उनके समक्ष पेश करने के कथन करता है।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 11 जैताराम परीक्षित हुआ है उक्त गवाह भी प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है जो दौराने अनुसंधान अभियुक्त बजरंगसिंह मनोहरसिंह श्रवणसिंह व जितेंद्रसिंह को जरिये फर्द प्रदर्श पी 11 लगायत प्रदर्श पी 14 के गिरफ्तार करने, उक्त मुलजिमान की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला प्रदर्श पी 15 लगायत प्रदर्श पी 18 मुर्तिब करने, उक्त मुलजिमान की इत्तिला के आधार पर घटनास्थल तस्दीक जरिये फर्द प्रदर्श पी 19 व 20 के करने एवं उक्त फर्दात पर अपने व

मुलजिमान के हस्ताक्षर होने के कथन करता है।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 12 महावीरसिंह परीक्षित हुआ है उक्त गवाह भी प्रकरण का मजरूब व चश्मदीद गवाह है, जो दौराने मुख्य परीक्षा दिनांक 26.10.2009 को आरजे 19 पीए 2039 का ड्राईवर होने बस का चालक उदयसिंह होने उस रोज बस पीपाड से ओसिया जाने, पीपाड से एक सवारी गोरधनसिंह भी सवार होने, जैसे ही देवातडा पहुंचने जितने में पीछे से एक बोलरो गाडी आने बस को ओवर टेक कर रूकवाने, बस चालक उदयसिंह की कोलर पकड कर नीचे उतरने बस में बैठी सवारियों को भी नीचे उतारने उपरोक्त व्यक्तियों के नाम जितेन्द्रसिंह, बजरंगसिंह, मनोहरसिंह, श्रवणसिंह, विक्रमसिंह, छेलसिंह, प्रेमसिंह होने, उपरोक्त मुलजिमान हॉकी सरियों से लेस होकर आने, हॉकी व लाठी से गोरधनसिंह के साथ मारपीट करने, मारपीट से उसके जगह–जगह चोटें आने, उसके कमीज में रखे 2000 रुपए नकद व उसका मोबाईल नोकिया 1600 उससे छीन लेने, जितेंद्रसिंह बस की चालक की सीट पर बैठकर उदयसिंह व गोरधनसिंह को बस में डालने, मनोहरसिंह व बजरंगसिंह बस में बैठने, बाकि मुलजिमान बोलेरो में सवार होने जितेंद्र सिंह ने बस चलाकर नादिया गांव से थोडा आगे बडकिया नदी पर बस रोकने बस में तोड–फोड करने के बाद बस को नदी में फेक देने, हम तीनों पैदल–पैदल बुचेटी गांव पहुंचने, सेवकी खुर्द जाकर हरिसिंह को सूचना देने, जो उन्हें सेवकी खुर्द लेने आने, हरिसिंह द्वारा घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस द्वारा घटना मौका प्रदर्श पी 03 व प्रदर्श पी 04 बनाने, उसकी चोटों का मेडिकल मुआयना करने करवाने, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 08 होने, मुलजिमान को पहचान सकने, मुलजिमान की रूट की रंजिश को लेकर मारपीट करने के कथन करता है।

उक्त गवाह की जिरह अधिवक्ता अभियुक्त के निवेदन पर रिजर्व रखे जाने के अनुसार उक्त गवाह जिरह हेतु पेश नहीं हुआ जिससे उक्त गवाह से अभियुक्तगण को जिरह का अवसर प्राप्त नहीं हुआ।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 13 रेवतराम परीक्षित हुआ है जो दौराने मुख्य परीक्षा दिनांक 25.09.2009 को जवाहर चिकित्सालय जैसलमेर में चिकित्सीय अधिकारी के पद पर तैनात होने, उस रोज अस्पताल मे बजरंगसिंह पुत्र हुक्मसिंह उम्र 31 साल निवासी जेएनवी कॉलोनी जैसलमेर नाम का व्यक्ति 11.25 एएम पर इमरजेंसी वार्ड में आने जिसको भर्ती करने का निर्देश करने, उसकी उल्टी, दस्त, कमजोरी की शिकायती होने, वह व्यक्ति दो दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने, उसके सहपाठी डॉक्टर नरेंद्र सोलंकी ने भी उस मरीज का इलाज करने, दिनांक 26.10.2009 को बजरंगसिंह को छुटी देने के कथन किये हैं। दौराने जिरह उक्त गवाह स्वीकार करता है कि अभियुक्त बजरंगसिंह दिनांक 25.10.2009 को जवाहर चिकित्सालय जैसलमेर में भर्ती हुआ था। यह कहना सही है कि अनुसंधान अधिकारी को उसने बजरंगसिंह के अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में बता दिया था। अनुसंधान अधिकारी ने दौराने अनुसंधान बजरंगसिंह के अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं लिये सिर्फ उसके बयान लिये।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 14 मुकेश व पीडब्ल्यू 16 मेघाराम परीक्षित हुये हैं जो अभियुक्त जितेंद्रसिंह की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 14 का मौतबीर गवाहान है। इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 15 गोरधनसिंह परीक्षित हुआ है। उक्त गवाहान दौराने मुख्य परीक्षा कितने समय पहले की बात है उसे याद नहीं होने उसके सामने पुलिस वालों ने मुलजिमान से घटनास्थल की तस्दीक नहीं करवाने उसे किसी बात की जानकारी नहीं होने, यद्यपि दौराने जिरह उक्त गवाह फर्द मौका तस्दीक प्रदर्श पी 19 व प्रदर्श पी 20 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है। इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 17 सुजानाराम परीक्षित हुआ है। उक्त गवाह भी नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 व 04 का मौतबीर गवाह है। इसी प्रकार पीडब्ल्यू 18 नरेंद्र सोलंकी परीक्षित हुआ है उक्त गवाह भी जिला अस्पताल जैसलेमर का चिकित्सीय अधिकारी है गवाह पीडब्ल्यू 13 रेवतराम के द्वारा बजरंगसिह के अस्पताल में भर्ती होने दिनांक 26.10.2009 को अस्पताल से डिस्चार्ज करने के कथन की ही ताईद करता है। इसी प्रकार पीडब्ल्यू 19 भगाराम परीक्षित हुआ है जो फर्द प्रदर्श पी 23 के जरिये अभियुक्त बजरंगसिंह को गिरफ्तारी करने मौका तस्दीक प्रदर्श पी 21 व प्रदर्श पी 22 बनाने पर उसके हस्ताक्षर होने के कथन करता है।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 20 प्रदीप कुमार परीक्षित हुआ है जो कि प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है। उक्त गवाह उसके समक्ष रिपोर्ट पेश होने पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान कर अभियुक्तगण के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित मान नतीजा न्यायालय में पेश करने के कथन करता है। **दौराने जिरह उक्त गवाह कथन करता है कि** वक्त घटना परिवादी साथ नहीं था। वक्त घटना मुलजिम बजरंगसिंह जवाहर चिकित्सालय जैसलमेर में जैर इलाज हो तो उसे आज याद नहीं है। यह कहना सही है कि पत्रावली पर कॉल डिटेल प्रमाणित नहीं है। इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 21 घेवरराम परीक्षित हुआ है जो अभियुक्त विक्रमसिंह, मनोहरसिंह व श्रवणसिंह की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 11 लगायत प्रदर्श पी 13 का मौतबीर गवाह है।

इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में मुस्तगीस हरिसिंह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। उक्त गवाह महावीरसिंह द्वारा फोन करके सूचित करने पर घटनास्थल पर जाने के संबंध में कथन करता है। प्रकरण का चश्मदीद गवाह/मजरूब उदयसिंह, महावीरसिंह व गोरधनसिंह है। गवाह उदयसिंह दौराने जिरह अपनी मुख्य परीक्षा में किये गए कथनों के पूर्णतः विरोधाभासी कथन करता है जो कि प्रकरण को संदेहजनक बनाता है। गवाह पीडब्ल्यू 12 महावीरसिंह दौराने मुख्य परीक्षा घटना के संबंध में संपूर्ण तथ्य कथित करता है, परंतु उक्त गवाह जिरह हेतु उपस्थित नहीं हुआ है इसलिए उक्त गवाह की मुख्य परीक्षा साक्ष्य में पढ़ी नहीं जा सकती है। गवाह पीडब्ल्यू 15 गोरधनसिंह घटना के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर करता है एवं घटना की ताईद नहीं करता है। गवाह पीडब्ल्यू 07 रणजीत, पीडब्ल्यू 08 लादूराम पीडब्ल्यू 09 मोहनराम घटना के चश्मदीद साक्ष्य नहीं है उक्त गवाहान अनुश्रुत साक्षी है। प्रकरण के नक्शा मौका गवाह पीडब्ल्यू 03 व 04 देवीसिंह भी दौराने जिरह नक्शा मौका के संबंध में

विरोधाभासी कथन करते हैं।

प्रकरण में जहां तक कि अभियुक्तगण द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा व हिंसा कारित करने का प्रश्न है तो विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम पांच व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक है। प्रकरण में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 मुस्तगीस हरिसिंह द्वारा पांच व उससे अधिक नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज करवाई गई है तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी बजरंगसिंह मनोहरसिंह विक्रमसिंह, श्रवणसिंह, जितेंद्रसिंह के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित माना है, परंतु प्रकरण का मुस्तगीस घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। घटना का चश्मदीद गवाह पीडब्ल्यू 04 उदयसिंह दौराने मुख्य परीक्षा बजरंगसिंह, श्रवणसिंह, जितेंद्रसिंह के ही नाम लेता है तथा चार–पांच अन्य व्यक्ति होना बताता है उक्त चार–पांच अन्य व्यक्ति कौन थे उनका नाम नहीं बताता है। इसके अतिरिक्त उक्त गवाह दौराने जिरह घटना के सम्बंध में पूर्णतः विरोधाभासी कथन करता है व उसके साथ घटना होने के तथ्य से भी इनकार करता है। गवाह पीडब्ल्यू 12 महावीरसिंह दौराने मुख्य परीक्षा जितेंद्रसिंह, बजरंगसिंह, मनोहरसिंह, श्रवणसिंह, जितेंद्रसिंह, छेलसिंह, प्रेमसिंह के नाम लेता है, परंतु उक्त गवाह जिरह हेतु उपस्थित नहीं हुआ है इसलिए उसकी साक्ष्य पढी नहीं जा सकती। गवाह पीडब्ल्यू 15 गोरधनसिंह दौराने मुख्य परीक्षा किसी भी मुलजिम का नाम नहीं लेता है। उक्त गवाह घटना के संबंध में कोई कथन नहीं करता हैं। इसके अतिरिक्त गवाह पीडब्ल्यू 07 रणजीत पीडब्ल्यू 08 लादूराम पीडब्ल्यू 09 मोहनराम किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं एवं घटना की ताईद नहीं करते हैं। मात्र अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू 20 प्रदीप कुमार दौराने साक्ष्य मुलजिम बजरंगसिंह, मनोहरसिंह, श्रवणसिंह, विक्रमसिंह, जितेंद्रसिंह के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित मानने के कथन करता है, परंतु अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य प्रकरण के मुस्तगीस व चश्मदीद गवाहान की सपुष्टिकारक साक्ष्य की श्रेणी की होती है जहां पर चश्मदीद गवाहान व मजरूब के कथनों से ही घटना की एवं घटना में लिप्त व्यक्तियों की ताईद नहीं होती है। वहां पर अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है, इसलिए आरोपित अभियुक्तगण द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बलवा व हिंसा कारित करने का तथ्य संदेह से परे साबित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त बजरंगसिंह द्वारा घटना के वक्त घटनास्थल पर उपस्थित नहीं होकर राजकीय चिकित्सालय जैसलमेर में भर्ती होने का उज्र लिया गया है, जिसके संबंध में अभियुक्त बजरंगसिंह द्वारा राजकीय चिकित्सालय जैसलमेर का डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श डी 1 पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है तथा गवाह पीडब्ल्यू 13 रेवतराम व पीडब्ल्यू 18 नरेंद्र सोलंकी भी उक्त तथ्य की ताईद करते हैं। उक्त साक्ष्य से अभियुक्त बजरंगसिंह का वक्त घटना, घटनास्थल पर उपस्थित होना भी साबित नहीं होता है।

प्रकरण में जहां तक कि आरोपित अभियुक्तगण द्वारा मजरूबान उदयसिंह महावीरसिंह व गोरधनसिंह का सदोष अवरोध कर उनके साथ कुंदाले से मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति

कारित करने एवं मजरूबान को बस में डालकर अपहरण करके ले जाने बस में तोड़–फोड कर रिष्टि कारित करने का प्रश्न है तो उक्त तथ्य के संबंध में भी गवाहान की साक्ष्य से उक्त तथ्यों की ताईद नहीं होती है।

इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में आरोपित अभियुक्तगण द्वारा मजरूब उदयसिंह महावीरसिंह व गोरधनसिंह का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित कर उनके साथ कुंदाले से मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित करने, मजरूबान को बस में डालकर अपहरण करके ले जाने मुस्तगीस की बस को क्षतिग्रस्त कर रिष्टि कारित करने का तथ्य संदेह से परे साबित नहीं होता है। इसलिए अभियुक्तगण बजरंगसिंह, मनोहरसिंह, विक्रमसिंह, श्रवणसिंह आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 323, 341, 365 / 149, 427 / 149 भा.द.स. के अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

(इन्साफ खान आर.जे.एस)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पीपाड़ शहर, जोधपुर जिला।

–:आदेश:–

10. अतः उक्त विवेचन के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण **1. बजरंगसिंह** पुत्र हुकमसिंह, निवासी नान्दिया प्रभावती, **2. मनोहरसिंह उर्फ अतीकसिंह** पुत्र हुकमसिंह, निवासी नान्दिया प्रभावती, **3. विक्रमसिंह** पुत्र हुकमसिंह, निवासी नान्दिया प्रभावती, **4. श्रवणसिंह** पुत्र चुतरसिंह, निवासी बारा खुर्द, पुलिस थाना खेडापा को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 323, 341, 365 / 149, 427 / 149 भा.द.स. के अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व में न्यायालय में नियमित तारीख पेशी पर उपस्थित होने बाबत् प्रस्तुत जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

11. प्रकरण में जब्त बस पूर्व में उसके स्वामी को सुपुर्दगी पर दी गई थी। बाद गुजरने मियाद अपील, अपील नहीं होने की सुरत में उक्त जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जायेगा।

(इन्साफ खान आर.जे.एस)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पीपाड़ शहर, जोधपुर जिला।

12. निर्णय व आदेश आज दिनांक **30.06.2026** को उसके द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्साफ खान आर.जे.एस)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पीपाड़ शहर, जोधपुर जिला।